


कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाध्यापक-मावि के संबंध में जारी विभागीय आदेशों में कार्मिक के नाम के सामने अंकित कॉलम (कॉलम संख्या-4 के अनुसार) में उल्लिखितानुसार संशोधन एतद्वारा किया जाता है:-

क्र सं.	नाम अधिकारी	पदस्थापन स्थान	संशोधन
1	2.	3	4
1	श्रीमती. कुसुमलता मीणा प्रधानाध्यापक	रामावि पुरोहित जी की टापरी, कोटा	प्रधानाध्यापक नियुक्ति आदेश दिनांक 16.10.19 में क.सं 474 पर अंकित कार्मिक की कार्यग्रहण दिनांक 03.01.2020 तक बढ़ाई जाती है।
2	श्रीमती कविता वर्मा प्रधानाध्यापिका	रामावि 68 एन.पी. गंगानगर	श्री प्रधानाध्यापक नियुक्ति आदेश दिनांक 16.10.19 में क.सं 370 पर अंकित कार्मिक की कार्यग्रहण दिनांक 03.01.2020 तक बढ़ाई जाती है।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1/प्र0अ0/संशोधन/2019-20 दिनांक 19.12.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. विशिष्ट सहायक, कार्यालय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) संभाग मुख्यालय।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
5. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
6. संबंधित कार्मिक /संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी
7. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक-कार्मिक